न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./70/2019/बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. करीम पुत्र श्री सुमार वगै. बनाम 1. उस्मान का.मु. मुसा वगै.

निर्णय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री कुमार कौशल जोशी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भजनलाल गोदारा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–28.09.2022

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर वहस करते हुए वताया कि अपीलर्थीगण एक ग्रामीण तवके के अनपढ़ व्यक्ति है तथा अपीलांट संख्या 01 जो कि 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति तथा अपीलांट संख्या 02 जो कि 80 वर्षीय वृद्ध औरत है, जो कि परिसीमा के वारे में अनभिज्ञ है तथा यही समझते रहे कि अपना प्रकरण लम्वित है। अभी हाल ही में अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने वताया कि आपके प्रकरण का निस्तारण काफी वर्ष पूर्व हो चुका है, जिसकी जांच पडताल कर नकल आवेदन प्रस्तुत किया। नकल हेतु अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा यही वताया गया कि नकल मिलते ही आपको सूचित कर दूंगा। अधिवक्ता द्वारा सूचित नहीं किया गया, जिस पर अभी हाल ही में दो दिन पूर्व अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो वताया कि आपकी नकल प्राप्त हो चुकी है, जिस पर आज से करीव दो दिन पूर्व ही सर्वप्रथम आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानवूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी विंदुओं पर निस्तारण करने की वजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंव सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRD 2017 Page 383
RRT 2012(1) Page 668

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय 12.09.2013 के विरूद्ध दिनांक 09.09.2019 को यानि तकरीबन 06 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को निर्णय पारित होने की दिनांक से ही थी। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के विन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2013 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस स्वयं ही वादी है उसके बावजूद अपने आवेदन में कथन कर रहा है कि वाद में हुई कार्यवाही से मुझे कोई जानकारी नहीं विश्वास करने योग्य नहीं है। अपीलांटस/वादीगण द्वारा अपने दावे में पैरवी करते वक्त उदासीनता बरती गई जिसे माफ करने का कोई वैधानिक कारण नहीं है। अपीलांटस/वादी को अपने पैरों पर खड़े होकर वाद को लड़ना होता है जबकि वाद विचारण में जानबूझकर उपस्थित नहीं रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया कि अपीलांटस/वादी ने कौनसी दिनांक, मिति या वाद को अपने अधिवक्ता से मिल कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण की जानकारी चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलांट/वादी द्वारा अपीलाधीन निर्णय की नकले कब चाही गई कोई स्पष्ट नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील तकरीबन 06 वर्ष की सुदीर्घ अवधि के पश्चात पेश की गई। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील मियाद ठहरती है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर